सत्यमेव जयते

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार /Government of India

TRAI
20 Glorious Years
(1997-2017)

संख्या 2–चालक(2)/2004–प्र0 एवं का0 (भाग) दिनांकः 11 सितम्बर, 2017

"ज्ञापन"

जबकि, भादूविप्रा संवर्ग में तैनात श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत एक जाँच किए जाने का आदेश दिया गया है तथा भादूविप्रा के सचिव महोदय ने उक्त नियम के उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्री ओम प्रकाश गिरी, ड्राईवर के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच करने के लिए श्री एस.बी. सिंह, संयुक्त सलाहकार को जाँच अधिकारी नियुक्त किया है।

2. **और जबकि,** जाँच अधिकारी ने अन्य बातों के साथ–साथ यह जानकारी दी है कि उपर्युक्त मामले में, 22 मई, 2017 को श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर से उसके मामले से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। परंतु वे जाँच अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए। तदुपरांत, जाँच अधिकारी ने श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर को दिनांक 12.7.2017 को एक नोटिस जारी कर उक्त जानकारी/दस्तावेजों को दिनांक 15.7.2017 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया था। परंतु ड्यूटी से उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण उन्हें नोटिस नहीं दिया जा सका । तदुपरांत, श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर के निवास स्थान अर्थात् बीएसएनएल स्टॉफ क्वार्टर नं. बी–14, टाईप–II, विवेक विहार, दिल्ली–110095 में नोटिस देने के लिए एक विशेष संदेशवाहक को भेजा गया था। श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर को नोटिस नहीं दिया जा सका क्योंकि श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर का निवास स्थान बंद पाया गया और तत्पश्चात् नोटिस को स्पीड पोस्ट से भेजा गया परंतु 'दरवाजा बंद' पाए जाने के कारण पुनः इसे श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर तक पहुंचाया नहीं जा सका। श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर अब तक ड्यूटी पर नहीं आए हैं अथवा उन्होंने इस कार्यालय में संपर्क नहीं किया है एंव इस कार्यालय को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

3. **इसलिए अब,** श्री ओमप्रकाश गिरि, ड्राईवर को एतद्द्वारा तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने और सात दिनों के भीतर जाँच अधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेज/जानकारी जमा करने का निदेश दिया जाता है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के उपबंधों के तहत एकपक्षीय जाँच आरंभ की जाएगी तथा उन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय बाध्यकारी होगा।

(एस0 एन0 तिवारी)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशा0 एवं कार्मिक)
दूरभाषः 011–23664213

श्री ओम प्रकाश गिरि,
चालक, भादूविप्रा
पताः बीएसएनएल स्टॉफ क्वार्टर नं. बी–14, टाईप–II,
विवेक विहार, दिल्ली–10095